कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांकः530 दिनांकः3 .12.2024

कार्यालय–आदेश

I

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/विविध/2024 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में बुधवार दिनांक 25.12.2024 से मंगलवार दिनांक 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है अतः जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। शीतकालीन अवकाश अवधि में इन न्यायालयों के आवश्यक फौजदारी आवेदन जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जाते है या लंबित है, को सुनने एवं निपटाने के लिए तथा इन्ही न्यायालयों का उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि का आवश्यक दीवानी कार्य करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के तहत निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
1	श्रीमती श्वेता दाधीच	ACJM No.1, Udaipur	26.12.2024 से 27.12.2024
2	श्री सागर माथुर	ACJM No.2, Udaipur	30.12.2024 से 31.12.2024

II

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/विविध/2024 दिनांक 30.11.2024 के अनुसार उदयपुर न्यायाक्षेत्र की न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर को छोडकर अन्य अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–1/2/3/4 उदयपुर/वल्लभनगर/मावली–1/मावली–2/सलूम्बर/झाड़ोल/कानोड़/खैरवाडा/गोगुन्दा, विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज) उदयपुर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) उदयपुर, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर/दक्षिण, उदयपुर/गोगुन्दा/मावली/खैरवाडा/कोटडा/सराडा/भीण्डर/सलूम्बर, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर/दक्षिण– 1/2, उदयपुर, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. कैसेज–1/2/3/4/5/6/7/8 उदयपुर, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आई. कैसेज–मावली, ग्राम न्यायालय गिर्वा/ खैरवाडा शीतकालीन अवकाश दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक बंद रहेंगे। अतः उक्त अवधि में इन न्यायालयों में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिये माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के तहत निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीयों को अधिकृत किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
1	सुश्री ज्योति भट्ट	ACJ & JM North No. 2, Udaipur	26.12.2024 से 27.12.2024
2	श्रीमती शिखा चारण	Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Girwa	30.12.2024 से 31.12.2024

III

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/विविध/2024 दिनांक 30.11.2024 के अनुक्रम में शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई कैसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, पोक्सो एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बंद रहेंगे, लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य करने हेतु बैठेंगे। अतः उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त विशिष्ट न्यायालय अपने–अपने स्तर पर शीतकालीन अवकाश अवधि में कम से कम 02 बैठक दिवस तय कर उसकी सूचना सभी सम्बन्धित को प्रेषित करावें।

(हस्ताक्षर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : स्था. / प्रशा. / 2024 / 5375-5395 दिनांक : 3.12.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को प्रेषित हैः—

1. स्टेण्डर्ड पृष्ठांकन "बी" के समस्त न्यायालय
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर
3. कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
4. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
5. वरिष्ठ रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर / सलूम्बर
7. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
8. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, उदयपुर / सलूम्बर / खैरवाड़ा / मावली / वल्लभनगर / झाड़ोल / कानोड़ / भीण्डर / सराड़ा / कोटड़ा / गोगुन्दा
9. सहायक निदेशक अभियोजन, अभियोजन कार्यालय, उदयपुर
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)